<u>प्रेस–विज्ञप्ति (15.03.2011)</u>

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बजट पर हुये सामान्य वाद–विवाद का उत्तर देते समय आज निम्नलिखित घोषणायें कीं:–

- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुबंधित कर्मियों के मासिक मानदेय में निम्नानुसार बढ़ोतरी करने की मैं घोषणा करता हूँ:–

सहायक	3000 रु. से	3510 रु. प्रतिमाह
ग्राम रोजगार सहायक	3500 रु. से	4030 रु. प्रतिमाह
डाटा एंट्री ऑपरेटर	4000 रु. से	5330 रु. प्रतिमाह

- माही परियोजना के बांसवाड़ा स्थित रेस्ट हाऊस को सर्किट हाऊस में परिवर्तित किया जायेगा।
- जयपुर में एक नये पर्यटन भवन का निर्माण किया जायेगा।
- वर्तमान में माननीय विधायकों के आवास पुराने निर्मित हैं जिनके रख–रखाव पर काफी खर्चा (लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये प्रति वर्ष) हो रहा है। अतः हमने निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में माननीय विधायकों हेतु 50 बहुमंजिले फ्लेट्स बनवाये जायेंगे। इन फ्लेट्स का निर्माण आगामी दो वर्षों में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- मैंने बजट में सभी प्रधानगणों हेतु वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। जिला प्रमुखों से भी ऐसी ही मांग आ रही है। अतः आगामी वर्ष में जिला परिषदों को भी एक–एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- राजस्थान में 9 हजार 177 ग्राम पंचायतें, 10 हजार 40 पटवार मंडल, 248 पंचायत समितियां एवं 244 तहसीलें कार्यरत हैं, जिनका क्षेत्राधिकार समरूप (Co-terminus) नहीं होने एवं overlapping होने के कारण योजनाओं की क्रियान्विति, अभियान संचालन एवं विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में अनेक प्रशासनिक कठिनाइयों के साथ–साथ साधनों का अपव्यय भी होता है। अतः प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए तहसीलों एवं पंचायत समितियों तथा उसी प्रकार पटवार मंडल एवं ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार को समरूप (co-terminus) बनाये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।
- कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों में माईनर इरिगेशन को बढ़ावा देने एवं वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोक कर उसका सिंचाई इत्यादि हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से, नाबार्ड के सहयोग से लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से एनिकट्स का निर्माण करवाया जायेगा।
- बांसवाड़ा जिले में स्थित माही परियोजना राजस्थान की एक महत्त्वपूर्ण वृहद् सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। अतः नहरों तथा अन्य स्ट्रक्चर्स की मरम्मत हेतु आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने की मैं घोषणा करता हूँ।

- आगामी वर्ष इंदिरा गांधी नहर के revamping हेतु 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित है। इस धनराशि से अनूपगढ़ शाखा, राजस्थान फीडर एवं अन्य प्राथमिकता के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।
- संविधान के 74वें संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथम चरण में प्रत्येक संभाग से एक शहर में पेयजल आपूर्ति का कार्य, नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जायेगा। इसके अंतर्गत बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, जोधपुर संभाग में जैसलमेर, कोटा संभाग में बूंदी, अजमेर संभाग में नागौर, भरतपुर संभाग में करौली, उदयपुर संभाग में नाथद्वारा एवं जयपुर संभाग में चौमूं में पेयजल वितरण का कार्य शहरी निकायों को हस्तांतरित किया जायेगा।
- वर्तमान में, प्रतिवर्ष 250 गाड़िया–लुहार परिवारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु 1 हजार रुपये की दर से अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष से 1 हजार गाड़िया–लुहार परिवारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।
- मैंने बजट में महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत साथिनों, एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि प्रस्तावित की थी। अब मैं घोषणा करता हूँ कि साथिनों एवं सहयोगिनियों के मानदेय में 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जायेगी।
- सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ़ की फसलों हेतु फसली ऋण दिया जाता है, जिसकी **किसान क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से अधिकतम साख सीमा, नहरी क्षेत्रों में 60 हजार रुपये एवं अन्य क्षेत्रों में 50 हजार रुपये है। यह सीमा वर्ष 2004 में निर्धारित की गई थी। इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में इस समय काफी संख्या में पदों हेतु चयन प्रक्रिया चल रही है। अतः आयोग के बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए हमने आयोग में दो और सदस्यों के पद सृजित करने का निर्णय लिया है।
- राज्य में संचालित 83 फास्टट्रेक न्यायालयों हेतु केन्द्रीय अंशदान अप्रेल 2011 से अनुमत नहीं होगा। इन न्यायालयों की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए, 43 फास्टट्रेक न्यायालयों को निरंतर रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 10 फास्टट्रेक न्यायालय उन स्थानों पर संचालित किये जायेंगे, जहाँ मोटर दुर्घटना दावों के कार्य अधिक हैं। शेष 33 न्यायालय कार्यभार को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जायेंगे।

<u>कर संबंधी घोषणाएं</u>

- गेहूँ का **आटा**, गेहूँ का फोर्टीफाइड आटा एवं चोकर (Wheat Bran) वैट से मुक्त।
- **मैदा** व **सूजी** वैट से मुक्त।
- **धान** (Paddy) वैट से मुक्त ।
- समस्त प्रकार के हस्त निर्मित गलीचें तथा ऐसे गलीचा निर्माताओं द्वारा उनमें इस्तेमाल होने वाले समस्त प्रकार के धागों की खरीद वैट से मुक्त।
- गुलाल व पिचकारी वैट से मुक्त ।
- हैण्ड मेड पेपर एवं उसके उत्पाद वैट से मुक्त।
- हाथ से बने हुए रूई के गद्दे व तकिये भी वैट से पूर्ण मुक्त ।
- लोहे से बने बक्सा, मिल्क केन, छाजला, सांकल, बाल्टी व कोठी वैट से मुक्त ।
- सीमेन्ट कंक्रीट मोजेक टाईल्स पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
- सभी प्रकार के डेजर्ट एवं रूम कूलर पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत ।
- इन प्रस्तावों द्वारा **35 करोड़ रूपये** से अधिक की राहत दी है। इस प्रकार अभी तक लगभग **290 करोड़ रूपये** से अधिक की राहत दी है।
- टैण्ट हाऊस डीलर्स के लिये कम्पोजिशन स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव से जारी रखा जायेगा।
- राजस्थान कर बोर्ड में 2 नवीन सदस्य लगाये जायेंगे।
- बजट प्रस्तावों में कतिपय वस्तुओं पर प्रवेश कर एवं वैट की दोहरी कर व्यवस्था की समाप्ति के संबंध में ऐसी कुछ वस्तुओं पर कर देयता के बारे में व्यापार जगत की भ्रान्तियों को दूर करने के लिये स्पष्टीकरण जारी किया गया।
- व्यापार जगत से आशा की गई कि आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं पर दी गई कर राहत आम आदमी तक अवश्य पहुँचे तथा इन राहतों का असर कीमतों में कमी के रूप में देखने को मिले।
- राज्य के लीज होल्डर्स को राहत देने के उद्देश्य से स्थानीय निकाय, मण्डल, प्राधिकरण आदि की तरफ बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट दी गई।
    - यदि बकाया लीज राशि ही जमा कराई जाती है, तो देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
    - यदि वर्तमान बकाया राशि के साथ–साथ आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि एक मुश्त जमा करायी जाती है, तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

इस हेतु दिनांक 30 अप्रेल, 2011 तक आवेदन करना होगा तथा 30 जून, 2011 तक लीज राशि को जमा कराया जाना आवश्यक होगा।